उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 14/2017/219/92-2-2017-15जॉच/2014

लखनऊ :: दिनांक:: 09 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद देवरिया में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना 2012-13 के अंतर्गत सम्पर्क मार्ग इसारू से देवकली पिच के चैनेज 1310 से 3300 (कुल लम्बाई 1990 मी0) के निर्माण कार्यो में मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जॉच आख्या के अनुसार की गयी अनियमितताओ हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–देवरिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2017/219(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1187/ग्रा0अ0वि0/नियो0-जांच/शि0-देवरिया/2015-16 दिनांक 29-01-2016 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0-जी-02/एस0 टी0-सी0टी0ई0/2663-119/17/2014-15 दिनांक 13-04-2015 के आधार पर प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती।

3- श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, प्रखण्ड-देवरिया द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in